

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—2.16

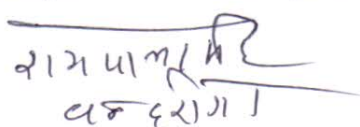
प्रारूप—22

वन संरक्षक द्वारा दिये गये बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दि०.....को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं:-

क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा सं०	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							
					20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि	कम्पार्टमेन्ट सं० 7	बाँज	Quercus leucotrichophora	2	-	-	-	-	-	-	2
		योग वन भूमि			2	-	-	-	-	-	-	2
		नाप	बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-
		कुल योग			2	-	-	-	-	-	-	2

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


वन संरक्षक

वन संरक्षक

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०-2.17

अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-24

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

वनक्षेत्राधिकारी
वनक्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहापाट

अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

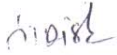
अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

संलग्नक १- 2.19

MUCK DISPOSAL PLAN

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वाड़नैणी-बुक्सवाड़ मोटर मार्ग का निर्माण।

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्य में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिसूची अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वाड़नैणी-बुक्सवाड़ मोटर मार्ग का निर्माण।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल- 0.515 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध) - 1030 पौध

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.515 है०	97.00	49.96
2	क्षेत्र की साफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.515 है०	584.00	300.76
3	कुली दीवार बन्दी (फनिसंग)	0.515 है०	26460.00	13626.90
4	गद्दहा खुदान (0.30x0.30x0.45)	1030 गद्दहा	7.33	7549.90
5	डी०ए०पी० खाद की लागत (50 ग्राम प्रति गद्दहा)	51.50 किग्रा०	19.00	978.50
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	0.515 है०	485.00	249.78
7	पौधों का मूल्य	1030 पौध	5.89	6066.70
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	वानरपतिक /स्टोन चैकडेम	0.515 है०	7750.00	3991.25
	वाटर हावोरिंग टैंक			
	अन्य कार्य	0.515 है०	400.00	206.00
	योग प्रथम चरण -			33019.74

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लेन्टाना गाजर घास/काला बांस)	0.515 है०		
2	गद्दहा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1030 गद्दहा	1.15	1184.50
3	पौध दुलान कार्य	1030 पौध	6.39	6581.70
4	पौधारोपण व थैलाबन्दी	1030 पौध	2	2121.80
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	1030 पौध	0.76	782.80
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	1030 पौध	1.15	1184.50
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1030 पौध	1	1184.50
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.515 है०	4768.00	1841.64
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	0.515 है०	0.21	0.11
	घास-पूस हटाना	0.515 है०	350.00	180.25
	सुरक्षा पट्टी बनाना	0.515 है०	225.00	115.88
	प्रचार प्रसार	0.515 है०	400.00	206.00
	प्रोत्साहन	0.515 है०	200.00	103.00
10	अन्य कार्य	0.515 है०	700.00	360.50
	योग द्वितीय चरण -			15847.17
	योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -			48866.91

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

P.D., P.W.D.,
Almora.

P.D., P.W.D.,
Almora.

2-19C

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	1030	पौध	5.50	5665.00
2	पौध दुलान कार्य	1030	पौध	6.00	6180.00
3	पुनः गढ़दे खोदना एवं रोपण कार्य	1030	पौध	3.20	3296.00
4	गढ़दों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1030	पौध	1.31	1349.30
5	पौधों की शीतकालीन मल्लिंग	1030	पौध	1.11	1143.30
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.515	है०	468.00	2892.24
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.515	है०	310.00	159.65
योग तृतीय चरण -					20685.49

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.515 है०	310.00	159.65
	योग चतुर्थ चरण -			3051.89

पंचम चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.515 है०	310.00	159.65
	योग पंचम चरण -			3051.89

षष्ठम चरण

- 1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.515 है०	310.00	159.65
	योग षष्ठम चरण -			3051.89

सप्तम चरण

-1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.515 है०	310.00	159.65
	योग सप्तम चरण --			3051.89

अष्टम चरण

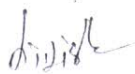
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.515 है०	310.00	159.65
	योग अष्टम चरण -			3051.89

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.515 है०	310.00	159.65
	योग नवम चरण -			3051.89

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.515 है०	468.00	2892.24
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.515 है०	310.00	159.65
	योग दशम चरण			3051.89


J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

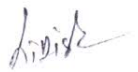

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.


J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

2.19 D

कुल धनराशि	प्रथम चरण	33019.74
	द्वितीय चरण	15847.17
	तृतीय चरण	20685.49
	चतुर्थ चरण	3051.89
	पंचम चरण	3051.89
	षष्ठम चरण	3051.89
	सप्तम चरण	3051.89
	अष्टम चरण	3051.89
	नवम चरण	3051.89
	दशम चरण	3051.89
	कुल योग-	90915.63
	या	90915.00

5/11/2019
2019.

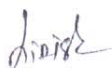

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.


A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.


E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

1. Construction of **Jwarneri - Bakshwar Motor Road under State Sector** Muck Disposal Annexure-I
2. Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure-II



J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.



A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.



E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

ANNEXURE-I

Name of Work:- Jwarneri - Bakshwar Motor Road under State Sector

Sl. No.	Material Received from hill side cutting 1/2(10000x3x3)	45000.00	cum.
	40% for swell factor	18000.00	cum.
	Total -	63000.00	cum.
Disposal and use of material			
1	Retaining walls- 1x10x350(1.93+0.60)2x4	17710.00	cum.
2	Breast walls- 1x10x250(0.90+0.60)/2x1.80	3375.00	cum.
3	H.P. filling - 1x10x1/2x350x1x4	7000.00	cum.
4	Const. of Scupper - 1x10x8x37.09	2967.20	cum.
5	Soling work - 1x10x1000x4.05x0.12	4860.00	cum.
6	Const. of pucca drain- 1x10x450x0.60x0.60	1620.00	cum.
7	wirecreat - 1x10x10x6.75	675.00	cum.
	Total used	38207.20	cum.
	Material disposal by carriage in dumping yard	24792.80	cum.

Location and Quantity of Dabris Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (cum)
Km. 1 (H.M. 6-8)	30x6.35x5	Private Land	952.50
	25x6x5	Private Land	750.00
Km. 3 (H.M. 4-6)	15x4x5	Private Land	300.00
	10x4x5	Private Land	200.00
	8x5x5	Private Land	200.00
	35x6.55x5	Private Land	1146.25
	30x6x5	Private Land	900.00
	42x5x5	Private Land	1050.00
Km. 6 (H.M. 2-4)	30x6x5	Private Land	900.00
Km. 7 (H.M. 0-2)	28x10x5	Private Land	1400.00
	25x10x5	Private Land	1250.00
Km. 8 (H.M. 8-10)	22x5x5	Private Land	550.00
	20x8x5	Private Land	800.00
	30x5x5	Private Land	750.00
	20x8x5	Private Land	800.00
Km. 9 (H.M. 0-2)	83x10x4	Private Land	3320.00
Km. 9 (H.M. 8-10)	20x7x5	Private Land	700.00
	20x10x5	Private Land	1000.00
Km. 10 (H.M. 2-4)	25x6x5	Private Land	750.00
	48.75x8x5	Private Land	1950.00
	10x5x5	Private Land	250.00
	36x5x5	Private Land	900.00
	50x7x5	Private Land	1750.00
	30x8x5	Private Land	1200.00
Km. 10 (H.M. 8-10)	27.50x4x5	Private Land	550.00
	20x4x5	Private Land	400.00
	10x4x5	Private Land	200.00
	Total -		24918.75

Location and Quantity of Dabris Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabris
1	63000.00	24792.80	38207.20	24792.80	-

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

ANNEXURE-IIDetails of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

S.No.	Chanage	Name of Land Owner & Village	Land in Hac.	Land in Sqm.	Land area being used to dumping yard (Sqm.)	Longitude	Latitude
1	Km. 1 (H.M. 6-8)	Sri. Ram Singh S/o Sri. Bishan Singh. Village- Surchoura	0.034	340.00	340.00		
2	Km. 3 (H.M. 4-6)	Sri. Pan Singh S/o Sri. Jagat Singh. Village- Surchoura	0.076	760.00	760.00		
3	Km. 6 (H.M. 2-4)	Sri. Chandra Dutt Joshi S/o Sri. Parmanand. Village - Pajena	0.018	180.00	180.00		
4	Km. 7 (H.M. 0-2)	Sri. Puran Singh S/o Sri. Khem Singh. Village - Pajena	0.053	530.00	530.00		
5	Km. 8 (H.M. 8-10)	Sri. Jagat Singh S/o Sri. Dulap Singh. Village - Bakshwar	0.058	580.00	580.00		
6	Km. 9 (H.M. 0-2)	Sri. Gopal Singh S/o Sri. Bhawan Singh. Village - Lara	0.083	830.00	830.00		
7	Km. 9 (H.M. 8-10)	Sri. Mathura Dutt S/o Sri. Dharamanand. Village - Lara	0.034	340.00	340.00		
8	Km. 10 (H.M. 2-4)	Sri. Chinta Singh S/o Sri. Ram Singh. Village - Malli Pipli	0.136	1360.00	1360.00		
9	Km. 10 (H.M. 8-10)	Sri. Trilok Singh S/o Sri. Bachhi Singh. Village - Pipli	0.023	230.00	230.00		
		Total -	0.515	5150.00	5150.00		
					0.515 Hec.		

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

study of 2.19 H

Name of work-Jwarneri-buksar motor Road

Google Map Muck Disposal

Legend

- Existing morrola jaiti road
- Jaiti-Pipli-Valka Motor Road
- Muck Disposal Area
- align 1

Vill. Surchora

29°27'37.95"N, 79°48'27.99"E

Vill. pajena

29°27'27.60"N, 79°48'43.91"E

29°27'27.85"N, 79°48'51.89"E

29°27'29.33"N, 79°48'55.44"E

Vill. bakswar

Vill. lara

29°27'41.98"N, 79°49'8.09"E

Vill. Malli Pipli

29°27'57.81"N, 79°49'30.00"E

Google earth

Image © 2015 CNES/Airbus
Imagery © 2015 DigitalGlobe

800 m

हार्दिक 5-8

सहायक अभियन्ता,

राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०
ग्रामोडा.

अधिकांश अभियन्ता,
राष्ट्रीय खण्ड, लो० नि० वि०
ग्रामोडा.

उप प्रमानीय कनाधिकारी

प्रमानीय कनाधिकारी
वर्मावत कन प्रभाग चम्पावत

Jwarneri - Bakshwar Motor Road under State Sector.



km-6



km 8

अधिकांश क्षेत्र, लो.नि.वि.
सहायक क्षेत्र, लो.नि.वि.
सहायक क्षेत्र, लो.नि.वि.

हिन्दी
5.5.

सहायक क्षेत्र, लो.नि.वि.
सहायक क्षेत्र, लो.नि.वि.
सहायक क्षेत्र, लो.नि.वि.

Jwarneri - Bakshwar Motor Road under State Sector.



km-9

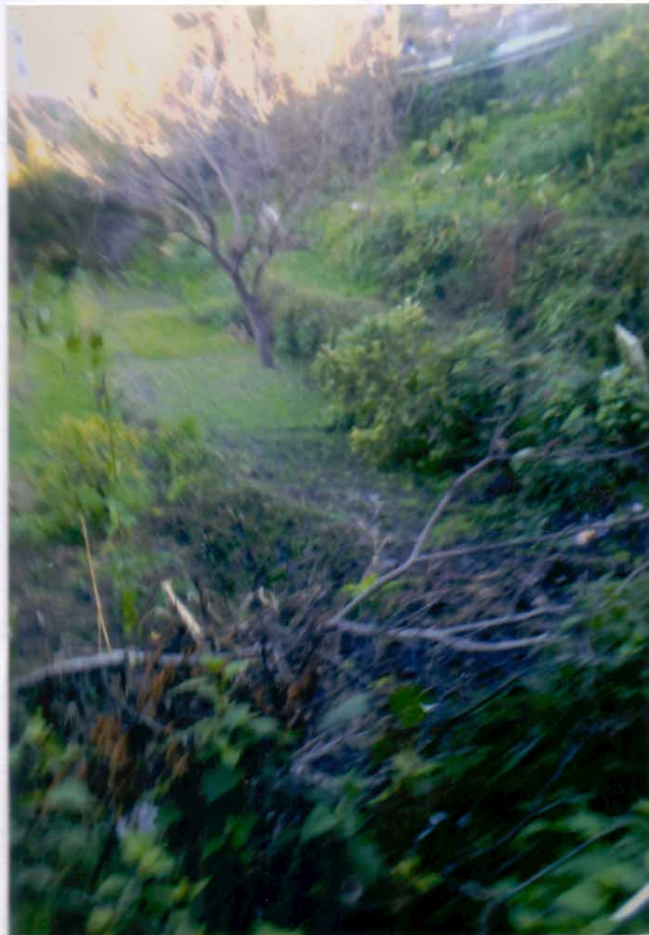


km-10

सहायक जलपानी
 प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.
 बलमोड़ा
 अधिष्ठाता
 प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.
 बलमोड़ा

1/12/82 S.E.

Jwarneri - Bakshwar Motor Road under State Sector.



Km-1



Km-3

सहायक वा.म.स.स.
राष्ट्रीय खण्ड, लो.नि.वि.
बलसोड़ा

अधिशायी वा.म.स.स.,
रा.तीय खण्ड, लो.नि.वि.
बलसोड़ा

दिनांक 30

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- लक्ष्मीदेव डा. श्री विद्या गिरि
ग्राम- सुरचोड़ा

किलोमीटर 1 (6-8) पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री राम फिद
पुत्र श्री विराम फिद ग्राम सुन्चोदा राजस्व
 उपनिरीक्षक क्षेत्र बनसगाड जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण
 निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	34	1302	0.019
		1303	0.015
		<u>योग</u>	<u>0.034</u>

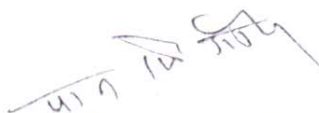


 राजस्थान समाजिक विकास बोर्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय


 नाम- पान सिंह S.I. श्री जगत सिंह
 ग्राम- सुल्तानपुरा

किलोमीटर 3 (4-6) पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री पान सिंह
 पुत्र श्री जगत सिंह ग्राम सुल्तानपुरा राजस्व
 उपनिरीक्षक क्षेत्र बुकसाड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण
 निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	12	273	0.006
		274	0.004
		275	0.004
		276	0.023
		277	0.018
		278	0.021
		<u>योग</u>	<u>0.076</u>


 राजस्व क्षेत्र- बुकसाड़
 उपनिरीक्षक (अल्मोड़ा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उसा प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय


 नाम- पूरन सिंह पुत्र श्री सीतल सिंह
 ग्राम- पड़ना
 ग्राम-

किलोमीटर 7.10-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री पूरन सिंह पुत्र श्री सीतल सिंह ग्राम पड़ना राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बक्सवाड़ा जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

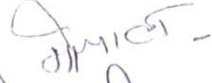
क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	01	1207	0.028
		1206	0.025
		<u>कुल</u>	<u>0.053</u>


 राजस्व उपनिरीक्षक
 बक्सवाड़ा - जिला, (अल्मोड़ा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय


 नाम- गोपाल सिंह S/O अवान सिंह
 ग्राम- निं- लडा

किलोमीटर 9 (0-2) पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री अवान सिंह ग्राम लडा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बुकसाड़ जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	11	807	0.083
			/
		205	0.083


 उपनिरीक्षक
 राजस्व उपनिरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- मधुसूदन
ग्राम- जवा

किलोमीटर 9.10 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री मधुसूदन
दत्त पुत्र श्री धर्मनन्द ग्राम जवा राजस्व
उपनिरीक्षक क्षेत्र बनसूत जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण
निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	21	805	0.014
		806	0.020
		405	0.034

हस्ताक्षर मधुसूदन
राजस्व क्षेत्र- जवा
उपनिरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम-

चिन्ता सिंह श/पराक सिंह

ग्राम-

ग्राम मल्ली पीपली अ/निर

किलोमीटर 10 (2-4) पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री चिन्ता सिंह
पुत्र श्री राम सिंह ग्राम पीपली राजस्व
उपनिरीक्षक क्षेत्र देवसूबा जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण
निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	06	1008	0.015
		1009	0.031
		1010	0.005
		1011	0.018
		1012	0.035
		1018	0.024
		2025	0.136


 राज्य सरकार
 राज्य- अ/निर
 उपनिरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम- त्रिलोक सिंह
 ग्राम- पिपली
त्रिलोक सिंह रा. ४/ क्वेरी
पिपली

किलोमीटर 1.0 (३.१०) पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री त्रिलोक सिंह
 पुत्र श्री तन्वी महेंद्र ग्राम पिपली राजस्व
 उपनिरीक्षक क्षेत्र बक्सवाड़ा जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण
 निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1	06	1153	0.011
		1154	0.008
		1155	0.004
		<u>योग</u>	<u>0.023</u>


 जिला अधिकारी
 जिला अल्मोड़ा
 राजस्व क्षेत्र- बक्सवाड़ा
 उपनिरीक्षक

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-25

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से हवाई दूरी लगभग 19.00 कि०मी० है।

वनक्षेत्राधिकारी
संयुक्त वन प्रभाग
अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

21/11/2019
व. 6/11/2019

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—2.21

यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 कि०मी० की परिधि में आता है तो

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—2.22

यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अर्न्तगत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहाकार बोर्ड भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति

NA

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
लोहाघाट
चम्पावत

वनक्षेत्राधिकारी
चन्देरी वन प्रभाग
चन्देरी

रा.स.प्रा.म.
चन्देरी

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

आम-सभा का प्रयाग पत्र

आज दि. 14.3.06 को P.W.D (लोचन वि.) द्वारा
ज्वारनेदी से बकहाड़ तक मोटर मार्ग की सर्वे की
गई है इस समस्त मार्ग पर वापस सुरक्षा के बकहाड़
के निवासी इस सर्वे से समुदा है।

अन्य (स.स.) अधिकारी को लिखना पड़ेगा
मौलाना वि. कल्लेख से निवेदन करते हैं कि लाहौर-जालंधर
कार्य प्रारम्भ करने की कृपा कि लिखना -



सामान्य सुखी

संस्कृत-संज्ञा (अल्फाबेट)

सं०	पिता का नाम	ग्राम	इकाता शेर
कान सिंह	श्री श्री श्री सिंह	सुरवाड़ा	कान सिंह
जगदीश सिंह	हरा सिंह	सुरवाड़ा	जगदीश सिंह
वि सिंह कश्यप	श्री श्री हरान सिंह	सुरवाड़ा	देव सिंह
राम सिंह	कनका सिंह	—	देव सिंह
श्री श्री श्री	श्री श्री श्री	१	श्री श्री श्री
श्री श्री सिंह	श्री श्री सिंह	२	जगदीश सिंह
श्री श्री	श्री श्री	३	देव सिंह
श्री श्री	श्री श्री	४	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	५	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	६	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	७	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	८	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	९	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१०	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	११	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१२	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१३	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१४	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१५	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१६	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१७	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१८	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	१९	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२०	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२१	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२२	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२३	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२४	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२५	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२६	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२७	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२८	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	२९	श्री श्री
श्री श्री	श्री श्री	३०	श्री श्री

12/15/20

Sept

सहायक अभियन्ता, इलाहाबाद

राष्ट्रीय स्वच्छ लोक निर्माण विभाग

सहायक धर्मियन्ता,

मानवीय खण्ड, लो० नि० नि०

[Signature]

प्रति,

आधिशाली अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
अहमदाबाद

विषय - ज्वार नेदी - वकल्ता

स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण हेतु

क्षेत्रवासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र,

महोदय,

ज्वार नेदी वकल्ता - स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण हेतु सात
वन पंचायत राजस्व ग्राम व ग्राम सभाओं द्वारा सूरदास
चिरातिनभिस वकल्ता आपसी नाप, बेनाप व पंचायत
के अधीन आने वाली शक्ति को सहज रूप से उपरोक्त
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु देने को तैयार हैं, इनके
उपरोक्त सभी ग्राम सभाओं राजस्व ग्राम व वन पंचायत
की कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय इस वहु उत्तीर्णित मोटर मार्ग
जिससे कि उपरोक्त सभी ग्राम सभाओं के निवासी लाभान्वित
होंगे, कि बहती कृपा करेंगे, जिससे उपरोक्त सभी ग्राम-
सभाओं के ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।
धन्यवाद

प्रति, जहाँ

सहायक अभियन्ता (द्वितीय)
राज्यीय वन लोक निर्माण विभाग,
अहमदाबाद

जहाँ

समस्त ग्राम सभाओं वन पंचायत
व राजस्व ग्रामवासी

प्रधान देवास

वन पंचायत चिरातिनभिस

पो. - वकल्ता,

वि.सं. - ३८५५ (अहमदाबाद)

दाया. जहाँ प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
वन, जो

अहमदाबाद

१. प्रकाश

२. सुशील

३. सुनील

४. जयलाल

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०-2.25

प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकल्लन

NA

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग । लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—2.26

अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण

NA

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

संलग्नक सं० 2.27

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अमान
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

उप प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

वनक्षेत्राधिकारी
दवापुरा वन प्रभाग
चम्पावत

रामचन्द्र
करीग

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
जिला अल्मोड़ा
जैती (बल्कोटा)

तहसीलदार
जैती

रजिस्ट्रार
जैती

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

पत्रांक 80/ए-1/कुँ0 क्षेत्र0/2007

दिनांक 07.08.07

सेवा में

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा ।

विषय- जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैड़ी-बक्सवाड़ मोटर मार्ग के 10 कि०मी० सड़क संरक्षण की भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या।

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैड़ी-बक्सवाड़ मोटर मार्ग के 10 कि०मी० सड़क संरक्षण की भू-गर्भीय आख्या जी-80/संरक्षण/कुमायूँ /2007 की एक प्रति सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

[Signature]
7.8.07
(मणि कर्णिका मिश्र)

भू-वैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 80/ए-1/कुँ0/07

तदुद्देश्य

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य अभियन्ता, कुँ0 क्षेत्र0, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) भू० वैज्ञानिक, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

पत्रांक -332211C

दि. 16.8.07

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भू-वैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

जवा उतिमान

सहायक अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण वि०

अल्मोड़ा,

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या जी-80/सड़क संरेखन/कुमायूँ/2007

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैड़ी-बक्सवाड़ मोटर मार्ग के 10 कि०मी० सड़क संरेखन की
भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

मई
2007

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनैड़ी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के कि०मी० 10 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1- प्रस्तावना:-

जनपद अल्मोड़ा में प्रान्तीय खंड, लो०नि०विभाग, अल्मोड़ा द्वारा ज्वारनैड़ी-बुकसाड़ मोटर मार्ग के 10 कि०मी० भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियंता के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 30-05-2007 को श्री एस० के पाण्डेय सहायक अभियंता एवं श्री डी० एस० नेगी, कनिष्ठ अभियंता प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण, स्थल संरचना व बनावट, भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस मोटर मार्ग निर्माण निम्न सुझाव दिया जा सके। (चित्र 1-2)।

2-स्थिति:-

- 1- यह सड़क संरेखन मोरनौला-जैती मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से प्रारम्भ होता है। (चित्र - 1)
- 2- भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार परियोजना स्थल $29^{\circ}35'40''$ अक्षांश तथा $79^{\circ}25'58''$ देशान्तर पर स्थित है। (चित्र - 2)

3- भूगर्भीय स्थिति:-

यह सड़क संरेखण कुमायूँ लेसर हिमालय के अन्तर्गत अल्मोड़ा त्रुर्ग के ग्रेनाईट एवं ग्रेनोडायोराईड वर्ग के एवं सरयू फार्मेशन के शिष्ट में फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में मटगोले मिट्टी के रंग की महीन एवं मोटे पतवाली नाईस-शिष्ट-क्वार्टजाइट चट्टानें स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण क्षेत्र में तीन प्रकार के ज्वाइन्ट से पूर्ण पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव के साथ स्पष्ट दृष्टिगोचर है। चट्टानों के ऊपर डेब्रिस एवं मिट्टी की परत विद्यमान है।

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----|
| 1- | 120 - 300 / पूर्वोत्तर / 57° | नति |
| 2- | 120 - 300 / पूर्वोत्तर / 59° | नति |
| 3- | 120 - 300 / पूर्वोत्तर / 61° | नति |

4-	130-310	/दक्षिणपश्चिम	/35 th	ज्वाइट
5-	130-310	/दक्षिणपश्चिम	/37 th	ज्वाइट
6-	130-310	/दक्षिणपश्चिम	/39 th	ज्वाइट
7-	35-215	/दक्षिणपूर्व	/65 th	ज्वाइट
8-	35-215	/दक्षिणपूर्व	/67 th	ज्वाइट
9-	35-215	/दक्षिणपूर्व	/69 th	ज्वाइट

इस स्थल क्षेत्र में भूगर्भीय टेक्टोनिक क्रम निम्नवत हैं।

मिट्टी की परत

डेब्रिस

नाईस

शिश्ट

शिश्ट

क्वार्ट्ज

शिश्ट

क्वार्ट्जाइट

शिश्ट

क्वार्ट्जाइट

शिश्ट

इस संपूर्ण सड़क संरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र रिवर्ति में दक्षिणपूर्व, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर दिशा में हैं। इसमें कई सूखे नाले भी विद्यमान हैं। इस भाग में कोई भी परीनिष्ठ नाला नहीं है।

4-स्थल वर्णन:-

यह सड़क संरेखण जनपद अल्मोड़ा में मोरनीला-जैती मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से प्रारंभ होकर पिपली ग्राम के बीच 10 कि०मी० में फैला हुआ है। उक्त मोटर मार्ग से यह संरेखण प्रारंभ होकर 1 कि०मी० पूर्वोत्तर दिशा को दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। कि०मी० 2-3 का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा को एवं कि०मी० 4 का पहाड़ी ढलान पश्चिमोत्तर दिशा को है। कि०मी० 5-6 का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। कि०मी० 7 से 10 तक का पहाड़ी ढलान दक्षिणपूर्व दिशा की ओर है। इन संरेखण का सम्पूर्ण भाग ज्वाइट/नाईस चट्टानी भाग में है। इस संरेखण का अधिकतम भाग बेनाप भूमि से होकर गुजरता है। शेष भाग नाप भूमि से गुजरता है।

इस संपूर्ण संरेखण में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में हैं। इसमें कई सूखे नाले हैं। संरेखन के कि०मी० 1 में ज्वारनैडी ग्राम एवं प्राइमरी पाठशाला विद्यमान हैं। कि०मी० 3 में सुरचौरा ग्राम, कि०मी० 6 में बीना ग्राम एवं कि०मी० 7 में बक्सवाड़ ग्राम, कि०मी० 10 में पिपली एवं प्राइमरी पाठशाला एवं एक ई कॉलेज विद्यमान है। इस संरेखण में कोई भी पेरिनियल नाला विद्यमान नहीं है। इस संरेखण में कोई भी मृ-स्थ क्षेत्र विद्यमान नहीं है। इस संरेखण का अधिकतम भाग बेनाप तथा शेष भाग नाप भूमि से होकर गुजरता है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखन स्थल देखे गये हैं। प्रथम संरेखन स्थल भूगर्भीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है जिसका वर्णन उपरोक्तानुसार किया गया है। द्वितीय संरेखन स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों दृष्टिकोण से स्थायित्व के विचार से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है।

5-स्थायित्व का विचार:-

इस स्थल की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार का आवश्यक है।

1. यह स्थल क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में है।
2. यह भूकम्पीय क्षेत्र में है।
3. इसमें कई ग्राम आते हैं।
4. इसमें कई सूखे नाले हैं।
5. इस संरेखन में कोई भी पेरिनियल नाला विद्यमान नहीं है।
6. पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
7. संरेखन का अधिकतम भाग चट्टानी भाग में है।
8. इसमें कई सूखे नाले हैं।
9. इसमें कुछ मन्दिर भी विद्यमान हैं।
10. इसमें कुछ चीड़ के वृक्ष भी आते हैं।
11. पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में हैं।
12. इस संरेखन में कई प्राइमरी पाठशालायें भी विद्यमान हैं।

6-सुझाव:-

इस संरेखन की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूजलीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

- 1) पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।
- 2) पहाड़ी की बनावट के अनुसार ही ब्रेस्ट/रिटेंनिंग वाल का निर्माण किया जाय।
- 3) सूखे नालो पर स्कपर/डबल स्कपर/कल्वर्ट/कॉजवे का निर्माण बनाया जाय।
- 4) मिट्टी वाले/डेब्रिस वाले भाग में मार्ग निर्माण करते समय मार्ग के वाह्य भाग को ऊँचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग अस्थावत बना रहे।
- 5) कि०मी० 2 के पेरेनियल गाले पर 15 मी० विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।
- 6) पर्यावरण को ध्यान में रखकर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाय।
- 7) ग्राम वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
- 8) पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गों के मानकों के अनुरूप उपाय किये जायें।
- 9) भूकम्पीय मानक के अनुसार उपाय किये जाय।
- 10) अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग आवश्यक हो किए जाय।

7-निष्कर्ष:-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस भाग में मोटर मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।

दायाँ ओर प्रमाणित

Sig
सहायक अभियन्ता,

प्रांतीय खण्ड, लो० वि० वि०

अध्यापक

7.8.07
(मणि कर्णिका मिश्र)

भू-वैज्ञानिक

कार्या मुख्या अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेनी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes; unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियों याचक विभाग को मान्य हैं।


अमान
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुक्सड़ा मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


अजान
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठा अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

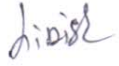

अधिशान्ती अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई-10.00कि०मी०

संलग्नक सं०-231

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों का अनुपालन प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जायेगा।




सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



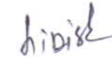
अधिशोषी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेनी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो०नि०वि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


अधीक्षक
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

अधिक्षेत्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

अमान
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

प्रभागीय वन अधिकारी
प्रमाणित वन प्रभाग चम्पावत।
चम्पावत

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उप प्रमाणित वन प्रभाग
लोहावट
चम्पावत

वनक्षेत्राधिकारी
उप प्रमाणित वन प्रभाग
लोहावट
चम्पावत

रामपाल
६८६११०

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
बीती (अल्मोड़ा)

तहसिलदार
बीती

राजेश कुमार
राजेश कुमार
राजेश कुमार
राजेश कुमार

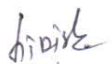
परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-38

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अंशु
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

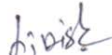
परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-39

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


अधीक्षक
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

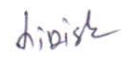
परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-40

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

क्रम सं०	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
1	सेल्पड़	60	240
2	सुरचौड़ा	70	280
3	पजैणा	51	160
4	बुकसाड़	60	240
5	लड़ा	25	125
6	म०पिपली	30	120
	योग	296	1165


अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिश्रमिक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 0.7
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० 939000=00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 4.8338 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 375600=00

वनक्षेत्राधिकारी
देवीप्रसाद
वन प्रभाग चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहावाट

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

21/11/11
08/11/11

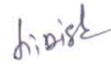
परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-51

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

प्रपत्र-41

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग । लम्बाई—*10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—240

वन भूमि की लीज अवधि का प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—241

आर०सी०सी पीलरों के सीमांकन का प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम-जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई- 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०-242

आर०सी०सी पीलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी—बुकसाड़ मोटर मार्ग। लम्बाई— 10.00कि०मी०

संलग्नक सं०—243

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

NA

प्रपत्र-2
परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना. विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा में ज्वारनेणी-बुंकरसाड़ मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 10.00कि०मी०
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पतावली में संलग्न है
- ग) परियोजना की लागत।

198.40 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक स्थान निरस्त किये गये।
- ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)

लागू नहीं
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

आरक्षित वन भूमि	—	1.3500 है०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	—	3.0775 है०
वन पंचायत भूमि	—	0.4062 है०
नाप भूमि	—	4.1663 है०
कुल भूमि	—	0.900 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

नहीं

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान- अल्मोड़ा
कार्यालय फौन/फैक्स नं०-05962-230033


(ई० सी०एस०नेगी)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

अध्याय-3

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारूप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15-08-2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल www.moef.nic.in पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने हैं तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वॉंछित सूचनायें संलग्न नहीं की जा रही हैं व अधूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग-अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची
सारणी-12

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	—
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी०एफ०ओ०/ जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैंड शेड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन / सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति.
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्रीफ का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक / डी० एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी० एफ०ओ०
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	50.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
54.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बड़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
56.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ० / प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैंट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी०एफ०ओ० /	डी०एफ०ओ० /

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।		उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	—
60.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57.	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	—

नोट :-उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनाये सारणी-13

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़कों के चौड़ीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौड़े किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	—

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनाये।

सारणी-14

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0